रजिस्ट्री सं. डी.एल.- 33004/99 REGD. No. D. L.-33004/99

भारत का राजपत्र
The Gazette of India

सी.जी.-डी.एल.-अ.-28052024-254401
CG-DL-E-28052024-254401

असाधारण
EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (ii)
PART II—Section 3—Sub-section (ii)

प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 2013] नई दिल्ली, मंगलवार, मई 28, 2024/ज्येष्ठ 7, 1946
No. 2013] NEW DELHI, TUESDAY, MAY 28, 2024/JYAISHTHA 7, 1946

वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय

(उद्योग संवर्धन और आंतरिक व्यापार विभाग)

आदेश

नई दिल्ली, 24 मई, 2024

का.आ. 2112(अ).—भारतीय मानक ब्यूरो अधिनियम, 2016 (2016 का 11) की धारा 16 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, और सेल्फ-कन्टेण्ड ड्रिंकिंग वाटर कूलर (गुणवत्ता नियंत्रण) आदेश, 2023 के अधिक्रमण में, ऐसे अधिक्रमण से पहले की गई या लोप की जाने वाली चीजों को छोड़कर, केंद्र सरकार का, भारतीय मानक ब्यूरो से परामर्श करने के बाद यह मत है कि यह जनहित में आवश्यक अथवा हितकर है, अत: एतद् द्वारा निम्नलिखित आदेश करती है, नामत:-

1. संक्षिप्त शीर्षक और प्रारंभ - (1) इस आदेश को सेल्फ-कन्टेण्ड ड्रिंकिंग वाटर कूलर (गुणवत्ता नियंत्रण) आदेश, 2024 कहा जाएगा।

(2) यह आदेश आधिकारिक राजपत्र में इस अधिसूचना के प्रकाशन की तारीख से लागू होगा।

2. मानक के अनुरूप एवं मानक चिह्न का अनिवार्य प्रयोग – (1) नीचे दी गई तालिका के कॉलम (2) में विनिर्दिष्ट वस्तुएं या सामान उक्त तालिका के कॉलम (3) में उल्लिखित तदनुरूपी भारतीय मानक के अनुरूप होंगे तथा उनमें भारतीय

मानक ब्यूरो (अनुपालन मूल्यांकन) विनियम, 2018 की अनुसूची-II की स्कीम-I के अनुसार भारतीय मानक ब्यूरो के लाइसेंस के तहत मानक चिह्न लगा होगा।

(2) सूक्ष्म और लघु उद्यमों के अलावा उद्यम इस तालिका के कॉलम (5) के तहत संबंधित प्रविष्टि में विनिर्दिष्ट तिथि से ऐसे भारतीय मानकों के अनुरूप होंगे।

(3) सूक्ष्म उद्यम और लघु उद्यम, सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यम विकास अधिनियम, 2006 (2006 का 27) की धारा (2) के क्रमशः खंड (ज) और (ड) के तहत यथा परिभाषित, तालिका के क्रमशः कॉलम (6) और (7) के अंतर्गत संबंधित प्रविष्टि में विनिर्दिष्ट तारीख से ऐसे भारतीय मानकों के अनुरूप होंगे।

(4) इस आदेश में से कुछ भी निर्यात की जाने वाली स्वदेश में विनिर्मित वस्तुओं या सामान पर लागू नहीं होगा।

3. प्रमाणन और प्रवर्तन प्राधिकरण – ब्यूरो तालिका में विनिर्दिष्ट वस्तुओं या सामान के लिए प्रमाणन और प्रवर्तन प्राधिकारी होगा।

4. उल्लंघन के लिए पेनल्टी– इस आदेश के प्रावधानों का उल्लंघन करने वाले किसी व्यक्ति को भारतीय मानक ब्यूरो अधिनियम, 2016 के प्रावधानों के तहत दंडित किया जाएगा

तालिका

क्र.सं.	वस्तु या सामान	भारतीय मानक	भारतीय मानक का शीर्षक	उद्यमों के लिए कार्यान्वयन की तिथि (सूक्ष्म और लघु उद्यमों के अलावा)	लघु उद्यमों के लिए कार्यान्वयन की तिथि	सूक्ष्म उद्यमों के लिए कार्यान्वयन की तिथि
(1)	**(2)**	**(3)**	**(4)**	**(5)**	**(6)**	**(7)**
1.	सेल्फ कन्टेण्ड ड्रिंकिंग वाटर कूलर	1475 (भाग 1) : 2001	सेल्फ कन्टेण्ड ड्रिंकिंग वाटर कूलर्स- उर्जा की खपत एवं निष्पादन	1 अक्तूबर, 2024	1 जनवरी, 2025	1 अप्रैल, 2025

नोट – इस तालिका के प्रयोजन के लिए, भारतीय मानकों के संबंध में जारी संशोधनों सहित उनके नवीनतम संस्करण, जैसा कि भारतीय मानक ब्यूरो द्वारा समय-समय पर अधिसूचित किए गए हैं, लागू होंगे।

[फा. सं. पी-29026/18/2023– एलईआई]

संजीव, संयुक्त सचिव

MINISTRY OF COMMERCE AND INDUSTRY

(Department For Promotion of Industry And Internal Trade)

ORDER

New Delhi, the 24th May, 2024

S.O. 2112(E).— In exercise of the powers conferred by section 16 of the Bureau of Indian Standards Act, 2016 (11 of 2016) and in supersession of the Self-Contained Drinking Water Cooler (Quality Control) Order,2023, except as respects things done or omitted to be done before such supersession, the Central Government, after consulting the Bureau of Indian Standards, is of the opinion that it is necessary or expedient so to do in the public interest, hereby makes the following Order, namely:-

1. Short title and commencement. – (1) This Order may be called the Self-Contained Drinking Water Cooler (Quality Control) Order, 2024.

(2) It shall come into force on the date of its publication in the Official Gazette.

2. **Conformity to Standard and compulsory use of Standard Mark.-** (1) The goods or articles specified in column (2) of the Table shall conform to the corresponding Indian Standard mentioned in column (3) of the Table and shall bear the Standard Mark under a license from the Bureau of Indian Standards as per Scheme-1 of Schedule-II to the Bureau of Indian Standards (Conformity Assessment) Regulations, 2018.

(2) The Enterprises other than Micro and Small Enterprises shall conform to such Indian Standards from the date specified in the corresponding entry under columns (5) of the Table.

(3) The micro enterprise and small enterprise, as defined under clause (h) and (m) respectively of section (2) of the Micro, Small and Medium Enterprises Development Act, 2006 (27 of 2006) shall conform to such Indian Standards from the date specified in the corresponding entry under columns (6) and (7) of the Table respectively.

(4) Nothing in this Order shall apply to goods or articles manufactured domestically for export.

3. **Certification and enforcement authority**.- The Bureau shall be the certifying and enforcing authority for the Goods or articles specified in the Table.

4. **Penalty for Contravention.-** Any person who contravenes the provisions of this Order shall be punishable under the provisions of the Bureau of Indian Standards Act, 2016.

TABLE

Sl. No.	Good or Articles	Indian Standard	Title of Indian Standard	Date of implementation for Enterprises (other than Micro and Small Enterprises)	Date of Implementation for Small Enterprises	Date of Implementation for Micro Enterprises
(1)	**(2)**	**(3)**	**(4)**	**(5)**	**(6)**	**(7)**
1.	Self-Contained Drinking Water Cooler	1475 (Part 1): 2001	Self-Contained Drinking Water Coolers- Energy Consumption and Performance	1st October, 2024	1st January, 2025	1st April, 2025

Note:- For the purposes of this Table, the latest version of Indian Standards including the amendments thereof, as notified by the Bureau of Indian Standards from time to time shall apply.

[F. No. P-29026/18/2023-LEI]

SANJIV, Jt. Secy.

Uploaded by Dte. of Printing at Government of India Press, Ring Road, Mayapuri, New Delhi-110064
and Published by the Controller of Publications, Delhi-110054.